FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

प्रेम देवी बनाम ग्यारसी देवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 161 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/262

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-04-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया की ओर से श्री पुष्पेन्द्र मीणा एड. उपस्थित। वकिल प्रार्थिया को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थिया ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा वकिल प्रार्थिया के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थिया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थिया के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 327, 329 कुल किता 02 कुल रकबा 3.15 है0 राजस्व ग्राम भगेगा पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख [illegible] पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैक[illegible] जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर [illegible] वाली दिनांक 23.05.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:40:23 IST
Reason: SelfAttested

23-5-25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-08-2025 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/9/25 को पेश हो।

08/09/25

वकील प्रार्थीया उप०। वास्ते बइन्तजार तामील अप्रार्थीगण मिसल दिनांक 25/09/2025 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 14/10/25 को पेश हों।

14/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मूल वादपत्र में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। पक्षकारान के हक–अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 327, 329 कुल किता 02 कुल रकबा 3.15 है0 तन ग्राम भगेगा तहसील नीमकाथाना के मौके एवं रिकार्ड [illegible] यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:40:23 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)